बनाम

मैसर्स राधे मल राम लाल, ओल्ड फ़रीदाबाद

(न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर)

न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर के सामने

मैसर्स अमर कंपनी, फ़रीदाबाद सिटी, - अपीलकर्ता

बनाम

मैसर्स राधे मल राम लाल, ओल्ड फ़रीदाबाद, - प्रतिवादी

आर.एस.ए. 2006 की संख्या 2596

15 अप्रैल 2009

परिसीमा अधिनियम, 1963-अनुच्छेद 1 भाग I, अनुच्छेद 14 भाग 2-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को माल की आपूर्ति करना-अपीलकर्ता भुगतान करने में असफल होना-पार्टियों के बीच खाते नहीं खुले, पारस्परिक और चालू-पार्टियों के बीच लेनदेन भाग II का अनुच्छेद 14 के दायरे में आते हैं। - सीमा की अवधि - मुकदमा दायर करने के लिए 3 वर्ष उस समय से शुरू होंगे जब माल अंतिम बार वितरित किया गया था और बिल जारी किया गया था - प्रतिवादी को सीमा की अवधि के भीतर माल के लिए बिल की राशि वसूल करने का हकदार माना गया था - मुकदमा को वर्जित माना गया था बाकी बिलों के लिए।

माना गया कि जहां तक संपूर्ण राशि की वसूली के लिए मुकदमे का प्रश्न, सीमा के भीतर होने का है, इसका उत्तर 1963 अधिनियम से जुड़ी अनुसूची के संदर्भ में दिया जाना है, जिसमें भाग- I और II के तहत, मुकदमा दायर करने के प्रयोजन के लिए परिसीमा की अवधि की गणना करने की विधि का विवरण दिया गया है। भाग- I खातों से संबंधित मुकदमों से संबंधित है, जबकि भाग II अनुबंधों से संबंधित मुकदमों की बात करता है। आखिरी बिल 36,667.12, रुपये का है जो 14 दिसंबर, 1995 का है। जबकि मुकदमा 12 दिसंबर, 1998

को दायर किया गया था। इस प्रकार, केवल यह राशि देय तिथि से तीन साल के भीतर आती है।

(पैरा 14 एवं 15)

इसके अलावा, यह माना जाता है कि जब पार्टियों के बीच लेनदेन का उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में परीक्षण किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भाग I के अनुच्छेद I के दायरे में नहीं आता है और बल्कि, वे 1963 अधिनियम से जुड़ी अनुसूची के भाग II के अनुच्छेद 14 के दायरे में आते हैं। इस प्रकार, मुकदमा दायर करने के लिए तीन साल की सीमा अवधि उस समय से शुरू होगी जब माल आखिरी बार वितरित किया गया था और बिल बनाया गया था, यानी 14 दिसंबर, 1995।

(पैरा 22)

इसके अलावा, यह माना गया कि लेन-देन की प्रकृति स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शाती है कि खाते पारस्परिक, खुले और चालू थे, क्योंकि पार्टियों के बीच मांगों की कोई पारस्परिकता नहीं है। यह एक सरल मामला था जहां प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को सामान की आपूर्ति की जा रही थी। यह महज एक मामला था जहां माल की आपूर्ति और वितरण किया जा रहा था और पार्टियों के बीच खाते खुले, पारस्परिक और चालू नहीं थे, 1963 अधिनियम की अनुसूची के भाग -11 का अनुच्छेद 14 उसी को नियंत्रित करेगा।

(पैरा 24)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता सी.बी. गोयल।

प्रतिवादी की ओर से नितिन कुमार, अधिवक्ता।

न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर,

(1) यह नियमित दूसरी अपील अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), फ़रीदाबाद (इसके बाद 'ट्रायल कोर्ट' के रूप में वर्णित) और दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 और 8 मार्च,2006 को पारित निर्णयों और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है। जिला न्यायाधीश, फ़रीदाबाद (जिसे इसके बाद 'प्रथम अपीलीय न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसके द्वारा वादी-प्रतिवादी के मुकदमे का फैसला सुनाया गया और प्रतिवादी-अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी गई।

(2) प्रतिवादी ने 3,19,810.43 रुपये की वसूली के लिए अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा दायर किया था। यह दलील दी गई थी कि अपीलकर्ता वर्ष 1992 से क्रेडिट के आधार पर प्रतिवादी से हिना पत्तियां खरीद रहा था और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में क्रेडिट खाता लेखा पुस्तकों में बनाए रखा गया था। आगे यह दलील दी गई कि अपीलकर्ता ने बिल संख्या 224, दिनांक 14 दिसंबर, 1995 के माध्यम से 36,667.12 रुपये हिना के पत्ते खरीदे थे विधिवत स्वीकार किया गया और एसटी-15 फॉर्म नंबर 0003981, दिनांक 1 अप्रैल, 1996 जारी किया गया। कहा गया था कि अपीलकर्ता ने समय-समय पर आंशिक भुगतान किया था, जिसे खाते के विवरण में विधिवत दर्शाया गया था और 1 अप्रैल, 1996 को कुल शेष रु 2,34,364.43 बकाया था। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता ने खातों के मिलान के बाद 4 नवंबर, 1996 को प्रतिवादी को 10,000 रु. नकद की रुपये की राशि का भुगतान किया। उस दिन एक और 5 नवंबर, 1996 को 10,000 रुपये राशि दी गई और 2,14,364.43 रु.शेष बचे। प्रतिवादी ने यह भी कहा था कि अपीलकर्ता से भुगतान करने के लिए कई बार अनुरोध किया गया था, लेकिन उसके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसलिए, रुपये की ब्याज सहित उपरोक्त मूल राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया था। 1,05,446 रुपये की गणना 1 अप्रैल, 1996 से 1 दिसंबर, 1998 तक 18% प्रति वर्ष की दर से की गई।

(3) नोटिस पर, अपीलकर्ता उपस्थित हुआ और अपना लिखित बयान दाखिल किया। कई प्रारंभिक आपत्तियां ली गईं। हालाँकि, इसने प्रतिवादी के साथ अपने व्यवहार को स्वीकार किया, लेकिन इस बात से इनकार किया कि हिना की पत्तियाँ कभी उधार पर खरीदी गई थीं। मुकदमे में दावा की गई राशि का भुगतान करने के दायित्व से इनकार किया गया था और यह कहा गया था कि प्रत्येक लेनदेन स्वतंत्र था और कोई राशि देय नहीं थी।

(4) पक्षों की दलीलों पर, ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए: -

(1) क्या वादी रुपये 3,19,810.43 रुपये की वसूली ब्याज सहित का हकदार है? ओ पी पी

(2) क्या वादी के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है? ओपीडी

(3) क्या वादी का वाद वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नहीं है? ओपीडी

(4) क्या मुकदमा साझेदारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत आता है? ओपीडी

(5) क्या मुकदमा कालातीत है? ओपीडी

(6) क्या वादी के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई कारण नहीं है? ओपीडी

(7) क्या सिविल न्यायालय को वर्तमान मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है? ओपीडी

(8) राहत

(5) रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के मुकदमे को लागत के साथ तय कर दिया और अपीलकर्ता से रुपये की राशि 2,14,364.43 मूल राशि के साथ-साथ 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी 5 नवंबर, 1996 से साकार होने तक वसूलने का हकदार माना।

(6) व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता ने एक अपील दायर की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। अतः यह नियमित द्वितीय अपील है।

(7) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि नीचे के न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया कि साक्ष्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा गया क्योंकि गवाहों की गवाही से यह स्थापित हो गया कि राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। यह तर्क देने के लिए पीडब्लू2-सोहन लाई के बयान का संदर्भ दिया गया था कि इस गवाह ने विवादित बिल प्रदर्शन डी1 से डी5 के भुगतान को स्वीकार किया है। इस मामले को देखते हुए, कुछ भी नहीं बचा क्योंकि देय राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। आगे यह तर्क दिया गया कि मुकदमा परिसीमा से परे है और निचली अदालतों द्वारा इसे परिसीमा के भीतर मानते हुए दर्ज किए गए निष्कर्ष गलत हैं। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 1 (संक्षिप्तता के लिए,

'1963 अधिनियम') इस मामले में लागू नहीं होगा और इसके बजाय 1963 अधिनियम का अनुच्छेद 14 लागू होगा।

(8) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष उचित हैं क्योंकि यह बिना किसी संदेह के स्थापित हो गया है कि अपीलकर्ता को राशि का भुगतान करना होगा। आगे यह तर्क दिया गया कि मुकदमा पूरी तरह से सीमा के भीतर है और इसे सही माना गया है क्योंकि अपीलकर्ता ने स्वयं बिक्री कर रिटर्न दाखिल करके देय राशि को स्वीकार किया था जो 26 मार्च, 1996 को जारी किए गए प्रदर्शन डी 1 से डी 5 के रूप में रिकॉर्ड में हैं। 1 अप्रैल 1996, जिसे अपीलकर्ता की लिखित स्वीकृति के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि उसने अपना दायित्व स्वीकार करते हुए इसे स्वीकार किया था।

(9) अपने तर्कों/प्रस्तुतियों का समर्थन करने के लिए, प्रतिवादी के विद्वान वकील **ने मेसर्स दुर्गा दास जनक राज** बनाम **मेसर्स, प्रीते शाह संत राम**[1] **स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया** बनाम **तरलोक सिंह और अन्य,**[2] **मोहन राजा** बनाम **पर भरोसा किया। करण चंद और अन्य**[3] **और मेसर्स रोशन इंडस्ट्रीज और अन्य** बनाम **मेसर्स मोहन लाई**[4]।

(10) मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचारपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित निर्णयों का अध्ययन किया है, साथ ही प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित मामले के कानून का भी अध्ययन किया है।

(11) जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने पीडब्लू2-सोहन लाई की गवाही का जोरदार संदर्भ देते हुए कहा कि इस गवाह ने प्रदर्शनी डी1 पर प्रतिवादी फर्म के भागीदारों में से एक हीरा लाई के हस्ताक्षर स्वीकार किए थे। D5 और जो साबित करता है कि देय राशि प्राप्त हो गई है। हालाँकि, PW2 के बयान को पढ़ने से पता चलता है कि अपीलकर्ता के विद्वान

---

[1] एआईआर 1959 पंजाब 530

[2] एआईआर 1992 दिल्ली 76

[3] 2003 (1) सिविल कोर्ट केस 103 (राजस्थान)

[4] 2004 (3) पी.एल.आर. 182 (पी एंड एच)

वकील का तर्क गलत है। उक्त गवाह ने केवल इतना कहा है कि वह इन दस्तावेजों के नीचे हीरा लाई के हस्ताक्षरों को पहचानता है, लेकिन जो हस्ताक्षर उसमें संलग्न हैं वे हीरा लाई के नहीं हैं। यह वे घिरे हुए हस्ताक्षर हैं जिनका उल्लेख अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह कहने के लिए किया जा रहा है कि भुगतान स्वीकार कर लिया गया है। यह स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के विद्वान वकील की गलत धारणा है, इसलिए इसे सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(12) जहां तक प्रतिवादी को देय राशि का सवाल है, उसने निम्नलिखित बिलों को साबित कर दिया है, यानी, पी 1 से पी 5 तक, रिकॉर्ड पर प्रदर्शित करता है जिसके विरुद्ध राशि देय थी: -

क्रम संख्या	प्रदर्शन संख्या	बिल की तारीख	ST फॉर्म की तारीख	बिल की राशि
1	P1	14-12-1995	01-04-1996	36,667.12
2	P2	13-05-1995	01-04-1996	20,888.02
3	P3	01-02-1995	26-03-1996	65,827.48
4	P4	06-01-1995	26-03-1996	32,292.73
5	P5	18-07-1994	26-03-1996	28,725.90

(13) माना जाता है कि अपीलकर्ता प्रतिवादी से हिना के पत्ते खरीदता था।

(14) मेरी राय में, जहां तक ऊपर उल्लिखित पूरी राशि की वसूली के लिए मुकदमे के सीमा के भीतर होने का सवाल है, इसका उत्तर 1963 अधिनियम से जुड़ी अनुसूची के संदर्भ में दिया जाना चाहिए। जिसमें भाग- I और II के

तहत, मुकदमा दायर करने के उद्देश्य से परिसीमा की अवधि की गणना करने के तरीके का विवरण दिया गया था। भाग-1 खातों से संबंधित मुकदमों से संबंधित है, जबकि भाग-11 अनुबंधों से संबंधित मुकदमों की बात करता है। संदर्भ के प्रयोजनों के लिए, उपरोक्त अनुसूची के भाग- I और भाग-11 का प्रासंगिक भाग, जिस पर पार्टियों के विद्वान वकील ने भरोसा किया है, नीचे दिया गया है: -

'अनुसूची

सीमा की अवधि

[धारा 2 (जे) और 3 देखें]

प्रथम श्रेणी-सूट

सूट का विवरण	सीमा की अवधि	जिस अवधि से समय चलना शुरू होता है।
भाग-1 से संबंधित वाद हिसाब किताब		
पारस्परिक, खुले और चालू खाते पर देय शेष राशि के लिए, जहां पार्टियों के बीच पारस्परिक मांगें होती रही हैं	तीन साल	उस वर्ष की समाप्ति जिसमें अंतिम स्वीकृत या सिद्ध की गई वस्तु खाते में दर्ज की गई है; ऐसे वर्ष की गणना खाते के अनुसार की जाएगी।
भाग II-से संबंधित मुकदमे ठेके		
6 से 13		
14. बेची और वितरित की गई वस्तुओं की कीमत के लिए जहां क्रेडिट की कोई	तीन साल	माल की डिलीवरी की तारीख

निश्चित अवधि पर सहमति नहीं है।		

(15) **जैसा कि ऊपर देखा गया, अंतिम बिल, प्रदर्शनी पी। 14 दिसंबर की तारीख है. 1995 या कुल रु. 36,667.12, जबकि मुकदमा 12 दिसंबर, 1998 को दायर किया गया था।** इस प्रकार, केवल यह राशि देय तिथि से तीन साल के भीतर आती है।

(16) अब, जिस प्रश्न पर विचार किया जाना है वह यह है कि क्या पार्टियों के बीच का खाता पारस्परिक, खुला और चालू था ताकि भाग- I के अनुच्छेद 1 के दायरे में आ सके या उनके बीच लेनदेन अनुच्छेद 14 के 1963 अधिनियम की अनुसूची के भाग-II के दायरे में आते हैं।

(17) **द फाइनेंसिंग सिंडिकेट लिमिटेड** बनाम **चंद्र कमल बेज बरुआ**[5] में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लिमिटेशन एक्ट, 1908 के अनुच्छेद 85 के प्रावधानों पर विचार किया (लिमिटेशन एक्ट, 1963 से जुड़ी अनुसूची के अनुच्छेद 1 के अनुरूप) और रैंकिन, चीफ जस्टिस ने डिवीजन बेंच की ओर से बोलते हुए निम्नानुसार कहा:-

"मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पारस्परिक मांगों की आवश्यकता शामिल है, जैसा कि सभी भारतीय मामलों में होलोवे, एजी चीफ जस्टिस के बाद निर्णय लिया गया है, प्रत्येक पक्ष पर लेनदेन दूसरे पर स्वतंत्र दायित्व बनाते हैं, न कि केवल लेनदेन जो एक पर दायित्व बनाते हैं दूसरी ओर, वे ऐसे दायित्वों का केवल पूर्ण या आंशिक निर्वहन हैं..."

(18) **वी.के. अब्राहम** बनाम **एन.के. अब्राहम**,[6], मद्रास प्रथम न्यायालय ने **हिंदुस्तान फॉरेस्ट कंपनी** बनाम **लाई चंद और अन्य**,[7] मामले में सुप्रीम कोर्ट के अन्य विभिन्न निर्णयों

[5] एआईआर 1931 कलकत्ता 359

[6] एआईआर 1978 मद्रास 56

[7] एआईआर 1959 एस.सी. 1349

के साथ-साथ उपरोक्त निर्णय पर भी गौर किया, जो परिसीमा अधिनियम 1908 का अनुच्छेद 85 प्रावधानों की व्याख्या से भी संबंधित था। उस मामले में जिस प्रश्न पर विचार किया गया वह यह था कि क्या वादी और प्रतिवादी के बीच लेनदेन को 1963 अधिनियम के अनुच्छेद 1 में वर्णित पारस्परिक, खुले और चालू खाते की श्रेणी में माना जा सकता है?' गहन चर्चा के बाद, निर्णय के पैराग्राफ 12 में यह निम्नानुसार देखा गया:-

"12. प्रतिवादी रबर की आपूर्ति के लिए आवश्यक रूप से अग्रिम राशि नहीं मांग रहा है। उदाहरण के लिए प्रदर्शन ए-54, दिनांक 18 दिसंबर, 1965 को प्रतिवादी ने प्रति वाहक 10,000 रुपये की राशि भेजने के लिए कहा क्योंकि उसे उस राशि की तत्काल आवश्यकता थी। वह यह नहीं कहते हैं कि किसी अग्रिम या रबर की किसी विशेष आपूर्ति के लिए इस राशि की आवश्यकता थी। इसी प्रकार, पूर्व में. प्रदर्शन ए-129 प्रतिवादी ने प्रति वाहक भेजे जाने वाले "कार्बोयोट फॉर्मिक एसिड" के लिए कहा था। वादी ने इसे भेजा और इसके लिए देय राशि की वसूली करनी थी। प्रतिवादी द्वारा आवश्यक भंडार की समान वस्तुएं हैं जिनके लिए वादी को मांगपत्र दिया गया था। कुछ अन्य लेन-देन हैं जिनमें प्रतिवादी ने कहा है कि राशि को वितरित किए जाने वाले रबर के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। एक पत्र में प्रतिवादी ने कुछ खाद की प्राप्ति की बात स्वीकार की है और रुपये की राशि मांगी है। प्रति धारक एक पद्मनाभ पिल्लई को 2,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। बताया गया कि इस राशि को अगले सप्ताह तक समायोजित किया जा सकता है। उन्होंने 18 जुलाई तक रबर मिश्रण का एक और भार भी मांगा है और कहा है कि राशि को दो सप्ताह तक समायोजित किया जा सकता है। प्रतिवादियों द्वारा 27 नवंबर, 1964 और 24 दिसंबर, 1965 को नकद में भुगतान किया गया था। पत्राचार और खातों से पता चलता है कि रबर की बिक्री, संपत्ति स्टोर की आपूर्ति और ऋण की उन श्रेणियों में आने वाले लेनदेन पारस्परिक, खुले और चालू खाते की प्रकृति स्पष्ट रूप से स्वतंत्र लेनदेन हैं। । इस प्रकार, निचली अदालत का यह निर्णय कि मुकदमा परिसीमा से बाधित नहीं है, सही है।''

(19) **हिंदुस्तान फॉरेस्ट कंपनी** बनाम **लाई चंद और अन्य** (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने **द फाइनेंसिंग सिंडिकेट लिमिटेड** बनाम **चंद्र कमल बेज बरुआ** (सुप्रा) में रैंकिन, चीफ जस्टिस की टिप्पणियों को मंजूरी के साथ उद्धृत किया और निम्नानुसार आयोजित किया: -

> "पारस्परिक मांगों की आवश्यकता में प्रत्येक पक्ष के लेन-देन शामिल होते हैं जो दूसरे पर स्वतंत्र दायित्व बनाते हैं, न कि केवल ऐसे लेन-देन जो एक तरफ दायित्व बनाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे दायित्वों का केवल पूर्ण या आंशिक निर्वहन होता है।"

(20) **केशरीचंद जयसुखलाल** बनाम **शिलांग बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग,** [8] में भी इसी सिद्धांत का पालन किया गया था।

(21) **अट्टादी वेंकेटी** बनाम **मेसर्स भारतम रामुलु एंड संस (सुप्रा)** में, उड़ीसा उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने निर्धारित कानून के आलोक में 1963 अधिनियम से जुड़ी अनुसूची के अनुच्छेद 1,14 और 26 के प्रावधानों पर विचार किया। सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में यह माना गया कि अनुच्छेद 1 उस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं था और इसके बजाय, अनुच्छेद 14 उस पर आकर्षित हुआ था। फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि वादी कपड़े का थोक व्यापारी था। उन्होंने इस आरोप पर मुकदमा दायर किया कि प्रतिवादी, जो तैयार कपड़ों का व्यापारी था, उधार पर उससे कपड़े खरीदता था और क्रेडिट खाते के उचित निर्वहन के लिए समय-समय पर भुगतान करता था। प्रतिवादी द्वारा अंतिम खरीदारी 16 अगस्त, 1973 को की गई थी और अंतिम भुगतान 28 सितंबर, 1973 को किया गया था। इसके बाद, प्रतिवादी ने वादी के साथ अपना व्यापारिक लेनदेन बंद कर दिया। रुपये की राशि. प्रतिवादी द्वारा 1,476.67 पैसे का भुगतान नहीं किया गया था। मांगने के बावजूद उसने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इसलिए,1474.67 पैसे

---

[8] एआईआर 1965 एस.सी. 1711

प्रति वर्ष 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की वसूली के लिए मुकदमा दाखिल किया गया।

(22) जब उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित उपरोक्त पुनरुत्पादित कानून के आलोक में यहां पार्टियों के बीच लेनदेन का परीक्षण किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अनुच्छेद 1 के दायरे में नहीं आता है बल्कि, वे 1963 अधिनियम से जुड़ी अनुसूची के भाग-11 के अनुच्छेद 14 के दायरे में आते हैं। इस प्रकार, मुकदमा दायर करने के लिए तीन साल की सीमा अवधि उस समय से शुरू होगी जब माल आखिरी बार वितरित किया गया था और बिल बनाया गया था, यानी 14 दिसंबर, 1995।

(23) इसके अलावा, इस मामले में, लेन-देन की प्रकृति स्पष्ट रूप से यह संकेत नहीं देती है कि खाते पारस्परिक, खुले और चालू थे, क्योंकि पार्टियों के बीच मांगों की कोई पारस्परिकता नहीं है। यह एक सरल मामला था जहां प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को सामान की आपूर्ति की जा रही थी।

(24) वर्तमान अपील में जो कानून का प्रश्न उठता है वह यह है कि "क्या ऐसे खाते में जो पार्टियों के बीच खुला और पारस्परिक नहीं है, भाग -1 के अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 14 भाग -11 अनुसूची के प्रावधान सीमा अधिनियम 1963 से जुड़ा हुआ है। एक व्यापारिक लेनदेन में सीमा की अवधि की गणना करने के लिए लागू होगा जिसमें सामान खरीदा और वितरित किया जाता है" और उपरोक्त चर्चा में जो कारण बताए गए हैं, उसी का उत्तर यह निष्कर्ष निकालने के लिए दिया गया है क्योंकि यह महज एक मामला था जहां माल की आपूर्ति और वितरण किया जा रहा था और पार्टियों के बीच खाते खुले, पारस्परिक और चालू नहीं थे। 1963 अधिनियम की अनुसूची का अनुच्छेद 14 भाग- II उसी को नियंत्रित करेगा।

(25) जहां तक बिक्री कर फॉर्म का संबंध है, जिस पर प्रतिवादी ने यह कहने के लिए भरोसा किया है कि मुकदमा, जो 12 दिसंबर, 1998 को दायर किया गया था, सीमा के भीतर था क्योंकि अपीलकर्ता ने 26 मार्च 2006 को अपना ऋण स्वीकार कर लिया था और

1 अप्रैल. 1996 को इसे केवल ऋण की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि पार्टियों के बीच खाता पारस्परिक और खुला नहीं था और संदर्भित दस्तावेज़ बिक्री फैक्स विभाग और अपीलकर्ता के बीच हैं।

(26) इसलिए, प्रतिवादी को 14 दिसंबर के बिल 1995 (प्रदर्शनी पीआई), यानी, रु. 36,667.12 की राशि वसूल करने का हकदार माना जाता है और बाकी बिलों के आधार पर, इसका मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है।

(27) तदनुसार, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, आक्षेपित निर्णय और डिक्री को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है और प्रतिवादी के मुकदमे को इस आशय का आदेश दिया जाता है कि वह 36,667.12 रुपये देय दिनांक से भुगतान की प्राप्ति तक 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित की वसूली का हकदार होगा।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नेहा सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा